Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

पहाड़ी कोरवा जनजाति में
प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

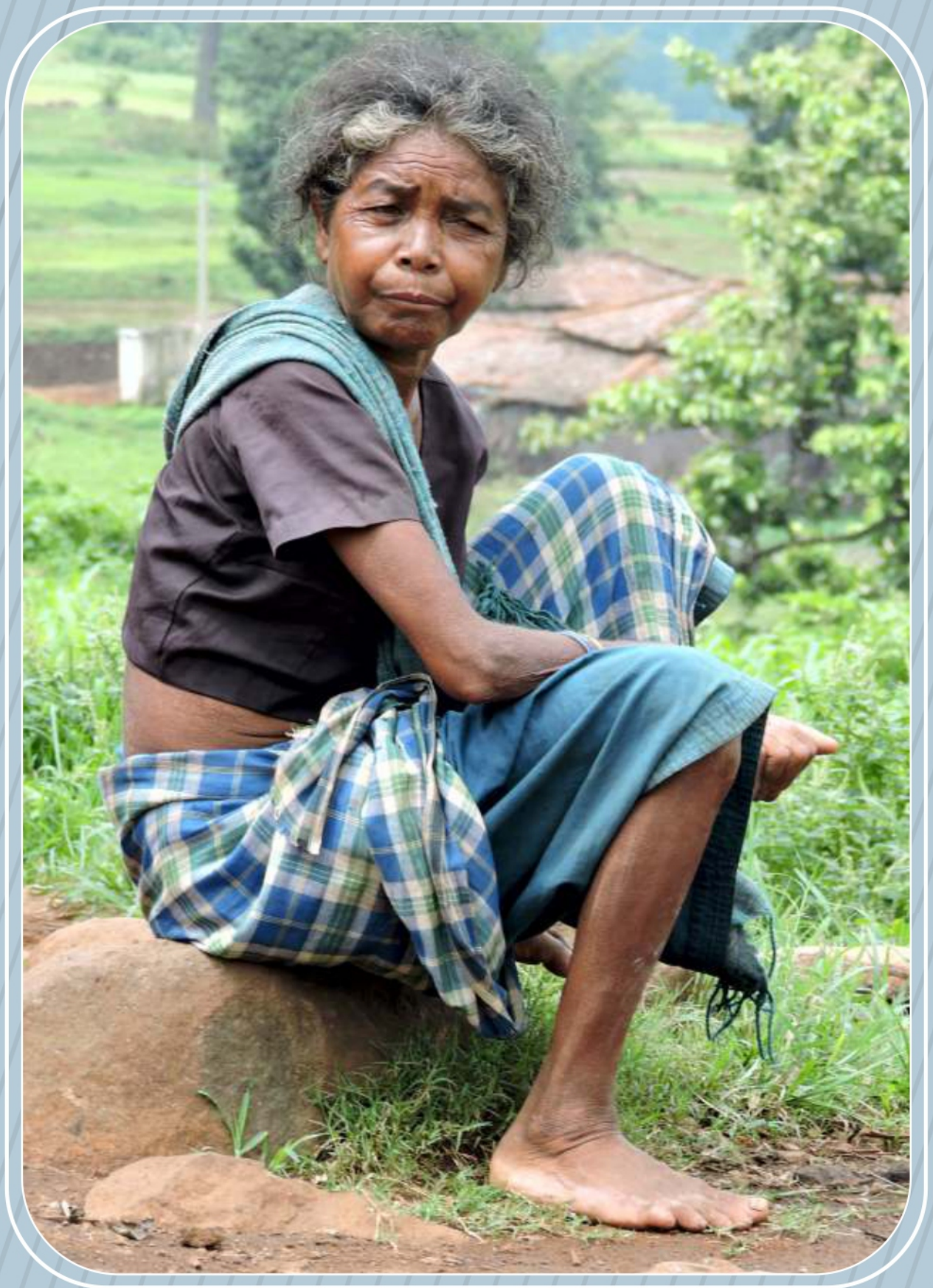

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 06

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

पहाड़ी कोरवा

जनजाति का प्रथागत कानून

निर्देशन	:	शम्मी आबिदी IAS
मार्गदर्शन	:	डी.पी. नागेश, संयुक्त संचालक
प्रतिवेदन	:	जी.एल. बलेन्दर

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

अध्याय - 1	प्रस्तावना	1-2
अध्याय - 2	अध्ययन क्षेत्र एवं प्राविधि	3-10
ध्याय - 3	पहाड़ी कोरवा जनजाति का संक्षिप्त परिचय	11-18
अध्याय - 4	पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून व सामाजिक नियम	19-26

अध्याय - 1

प्रस्तावना

भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को विशेष स्थान प्रदान करता है। परम्परागत रूप से आदिवासी, वनवासी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। जो मुख्यधारा से काफी अलग–अलग है। वे आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। कोरवा जनजाति के एक उप समूह पहाड़ी कोरवा को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनकी आदिम कृषि तकनीक, न्यून साक्षरता एवं स्थिर जनसंख्या के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTGs) के रूप में पहचाना गया था। पहाड़ी कोरवा परिवार जनजाति मानवशास्त्रीय वर्णन में ऑस्ट्रो–एशियाटिक परिवार से संबंधित है वे मध्यम कद काठी गठीले शरीर व गहरी भुरी व काली त्वचा लिये होते हैं। ये लोग आपस में बात करने के लिए कोरवी बोली का उपयोग करते है। आपस में बातचीत करने हेतु इस बोली के साथ ही सरगुजिहा, सादरी बोली भी बोलते है।

पहाड़ी कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरबा क्षेत्र के पहाड़ियों, घाटियों और जंगलों में निवासरत हैं।

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड
1	सरगुजा	अम्बिकापुर उदयपुर, लखनपुर, मैनपाट, सीतापुर, बतौली एवं लुण्ड्रा।
2	बलरामपुर	राजपुर, शंकरगढ, कुसमी एवं बलरामपुर।
3	जशपुर	बगीचा, कुनकुरी, एवं मनोरा।
4	कोरबा	कोरबा, पोड़ी एवं उपरोड़ा।

पहाड़ी कोरवा जनजाति को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, कमार व बैगा जनजाति सम्मिलित है। जनजाति में पहाड़ी कोरवा जनजाति अत्यन्त पिछड़ी जनजाति के रूप में सूची बद्ध है। यह जनजाति आज भी अत्यंत पिछड़ी है। इनका निवास स्थान दूर घने जंगलों में पहाड़ों के उपर निवास करते है जहां सामान्य जनजाति के लोग भी जाना नहीं पसंद करते है। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है व वर्तमान में भी कम होती जा रही है। कृषि करने का तरीका अभी भी प्राचीन है। आज भी लोग कृषि की प्राचीन पद्धति का अनुशरण कर रहें है। शिक्षा का प्रतिशत भी अन्य जनजातियों की अपेक्षा बहुत कम है। ये भूत–प्रेत, जादू–टोना पर भी विश्वास करते हैं। पहाड़ी कोरवा की अपनी रिती–रिवाज, परम्पराएँ, प्रथाएँ, रूढ़ियां हैं, जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इन्ही पम्पराओं एवं प्रथाओं से जनजाति समुदाय अनुशासित होती है। इनका पालन करना सभी सदस्यों का दायित्व होता है। आदिवासी संस्कृति की पम्पराएँ बहुत ही समृद्ध हैं, यही अन्य समाज से इन्हे पृथक करती है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून का अध्ययन करना।
2. पहाड़ी कोरवा जनजाति में जाति पंचायत व्यवस्था का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व :-

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत पहाड़ी कोरवा जनजाति के जाति पंचायत व्यवस्था एवं उनकी परपंराओं, रीति–रिवाज तथा उनके प्रथागत कानून को जानने व समझने में सहायक सिद्ध होगा।

अध्याय - 2

अध्ययन क्षेत्र एवं प्राविधि

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून का अध्ययन बलरामपुर एवं सरगुजा जिले के विकासखण्ड के 11 ग्राम के लगभग 108 परिवारों से सम्पर्क कर अध्ययन कार्य किया गया। चयनित ग्राम जहां अध्ययन कार्य सम्पादित किया गया कि सूची निम्न तालिका में संकलित कर प्रदर्शित किया गया है :–

जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित परिवार संख्या
बलरामपुर	राजपुर	अलखडीहा	10
		माकड	10
		लाड	10
	शंकरगढ़	सुगाटोली	10
		हरीन लेटा	10
		पटना	10
		जगिया	10
		खरकोना	10
		चम्पानगर	10
		जिगनिया	09
	कुसमी	संरगा जोगी	09
योग	**3**	**11**	**108**

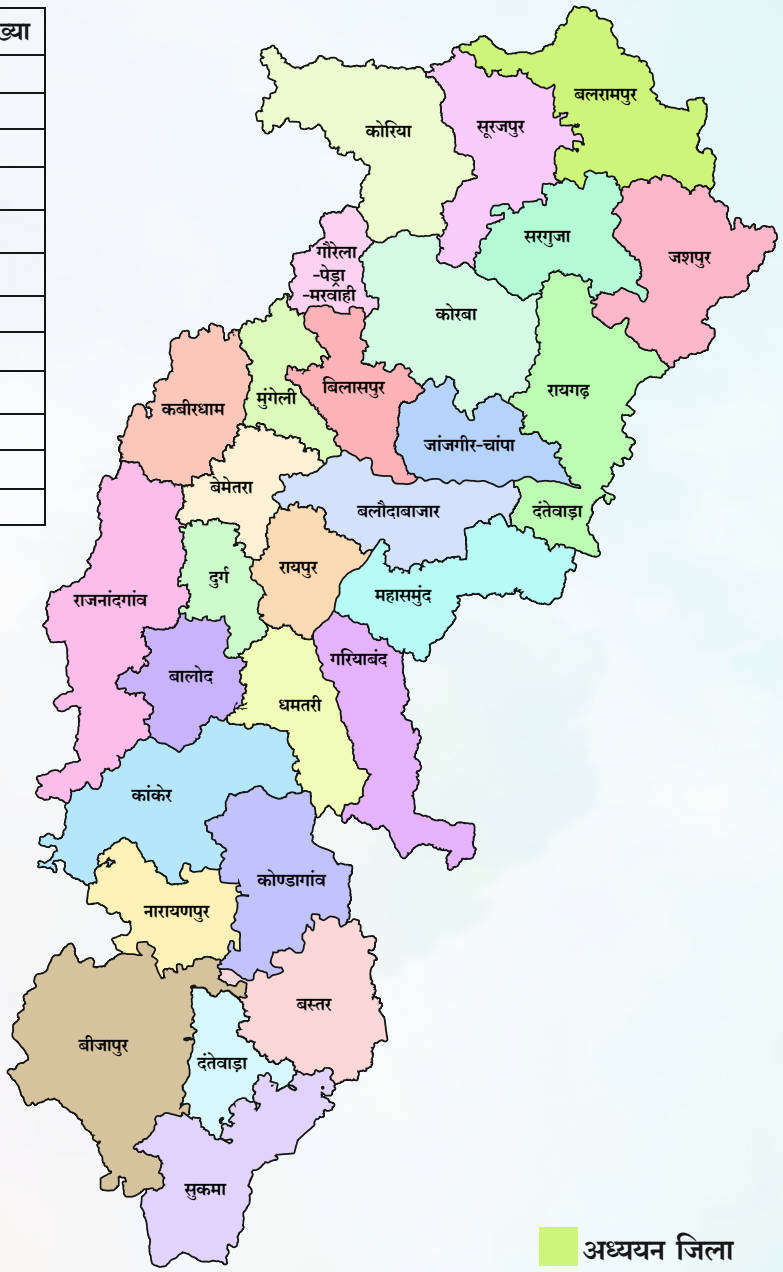

क्षेत्र परिचय :-

सरगुजा जिले का सामान्य परिचय :-

सरगुजा संभाग का अस्तित्व छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व से है। अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के समय भी इस जिले का विशेष महत्व था। चूंकि यह जिला राजाओं से संबंध रखता था। जिले में प्राचीन राजाओं में रक्सेल राजवंश का साम्राज्य था। वर्तमान में भी इस राजवंश के उत्तराधिकारी निवास कर रहे है।

सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से 341 कि.मी. दूरी पर स्थित है। विभाजन के पूर्व यह दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता था। जिले के पश्चिम में बलरामपुर जिला पूर्व में कोरबा दक्षिण में सूरजपुर स्थित है।

जिले में 07 तहसील एवं विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुण्ड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट स्थित है। जिले में कुल 579 ग्राम है। सरगुजा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3751.04 वर्ग कि.मी. है। सुरक्षित वन क्षेत्र 455.853 वर्ग कि.मी. है। वनों में मुख्यत साल, महुआ, सागोन, आम व जलाउ वृक्ष पाये जाते है।

जिला बलरामपुर का सामान्य परिचय :-

जिला बलरामपुर सरगुजा जिले को विभाजित कर नया जिला बनाया गया। इसका अस्तित्व 01 जनवरी 2012 को आया। यह जिला सरगुजा जिले के उत्तर पश्चिम में 23–60–67 उत्तर 83–62–03 पूर्व अक्षांश पर स्थित है।

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3806.08 वर्ग कि.मी. है। जिले में कुल 06 विकासखण्ड बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर, कुसमी, शंकरगढ़ व वाड्रफनगर है। सभी विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है।

बलरामपुर जिले की कुल जनसंख्या 598655 है। जिसमें 3,04,367 पुरूष व 294488 महिला है। प्रति हजार पुरूष के पीछे 1003 महिला अनुपात है। ग्रामीण जनसंख्या

572249 व शहरी जनसंख्या 26606 है। जिले की जनसंख्या का घनत्व 173 प्रति वर्ग कि.मी. है। जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 371747 है जो कुल जनसंख्या का 62.07 प्रतिशत है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 26654 है जो कुल जनसंख्या का 4.45 प्रतिशत है।

जिले में कुल ग्राम संख्या 645 है 340 ग्राम पंचायत है। जिले की साक्षरता दर 60.36 प्रतिशत है जिले में 06 जनपद पंचायत 01 नगर पंचायत व 26 पटवारी हल्का है।

जिले में 122 विद्युतीकरण ग्राम है पेयजल सुविधा 123 ग्राम में उपलब्ध है। 125 ग्राम नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

बलरामपुर जिला अत्यंत पिछड़ा जिला है। जहां रेल्वे स्टेशन भी नहीं है यह संभागीय जिला मुख्यालय से 90 कि.मी. दूर है। इनकी सीमाएं झारखण्ड राज्य से लगी हैं।

जिला जशपुर का सामान्य परिचय :-

जशपुर जिला पूर्व में रायगढ़ जिले का एक हिस्सा था। वर्ष 1998 में पृथक कर नया जिला बनाया गया था। जशपुर जिला राज्य के पूर्व माग में स्थित है। इसकी सीमाएं पूर्व में झारखण्ड राज्य पश्चिम से बिलासपुर, उत्तर में बिहार एवं दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है।

जिल में 09 तहसील/विकासखण्ड तथा जशपुर, दुलदुला, कुनकुरी, फरसाबहार, बागबहार, पत्थलगांव, कांसाबेल, बगीचा मनोरा है। जशपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। सभी विकासखण्ड आदिवासी विकास है।

जिले में कुल ग्राम संख्या 646 राजस्व एवं 11 वनग्राम कुल 657ग्राम है। जशपुर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल 4569 वर्ग कि.मी. है। जिसमें से 2553.63 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। 1093.706 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन 567.750 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन है। असीमाकिंत संरक्षित 857.125 वर्ग कि.मी. है। कृषि भूमि 291497 हेक्टेयर है सिंचाई 5 प्रतिशत क्षेत्र में उपलब्ध है।

जिले में मुख्यतः उरांव, कंवर, नगेशिया, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, खड़िया, खैरवार, भुईया आदि जनजातियां निवासरत है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में से पहाड़ी कोरवा व बिरहोर इसी जिले में पाये जाते है। बगीचा व मनोरा विकासखण्ड से पहाड़ी कोरवा व कुनकुरी बगीचा, दुलदुला व कांसाबेल में बिरहोर जनजाति पाये जाते है।

पहाड़ी कोरवा जनजाति के निवास क्षेत्र की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम संख्या	परिवार संख्या	पहाड़ी कोरवा जनसंख्या
1	सरगुजा	अम्बिकापुर	8	141	585
2	——..——	सीतापुर	9	116	475
3	——..——	बतौली	16	318	1307
4	——..——	लखनपुर	07	97	434
5	——..——	उदयपुर	05	88	320
6	——..——	लुण्ड्रा	60	820	3416
7	——..——	मैनपाट	15	198	965
		योग	**120**	**1778**	**7502**
1	बलरामपुर	रामपुर	27	619	2867
2	——..——	कुसमी	22	359	2053
3	——..——	शंकरगढ़	42	677	3756
4	——..——	बलरामपुर	09	85	389
		योग	**100**	**1740**	**9065**
	जशपुर	मनोरा	11	119	441
1	——..——	बगीचा	72	2078	8973
2	——..——	**योग**	**83**	**2197**	**9414**
		महायोग	**303**	**5715**	**25981**

उपरोक्त आकड़े वर्ष 1991 की जनगणना व आदिम जाति अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन से लिया गया है। अध्ययन अनुसार राज्य में संभाग के 03 जिलों में 13 विकासखण्ड के 303 ग्रामों में 5715 परिवार निवास कर रहे है। जहां इनकी कुल जनसंख्या 25981 है।

अध्ययन प्राविधि :-

पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून अध्ययन हेतु ग्राम अलाखडीहा एवं लाऊ विकासखण्ड राजपुर, जिला बलरामपुर एवं ग्राम सुगाखोली, हरिनलेटा, पटना, जगीया, खरकोना, चम्पानगर, जिगनिया विकासखण्ड शंकरगढ़, जिला बलरामपुर तथा ग्राम सरंगातोगी, विकासखण्ड कुसमी, जिला बलरामपुर में साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से प्रथम तथ्यों का संकलन कर प्रतिवेदन तैयार किया गया। जिसमें पहाड़ी कोरवा परिवार के मुखिया व सदस्यों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर समावेश बिंदु पर प्रश्न कर उत्तरों का संकलन किया गया है।

साक्षात्कार लिए गये परिवार प्रमुख की तालिका

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	परिवार मुखिया का नाम/पिता का नाम
1	बलरामपुर	राजपुर	अलाखडीहा	सुखु / बुजना
2	——,——	——,——	——,——	मनोज / महलु
3	——,——	——,——	——,——	बंसत / महलु
4	——,——	——,——	——,——	सोमा / ठकवा
5	——,——	——,——	——,——	बिफना / सिभु
6	——,——	——,——	——,——	रूपनी / सोहना
7	——,——	——,——	——,——	गुडन / महलु
8	——,——	——,——	——,——	बरतुराम / रामारास
9	——,——	——,——	——,——	जगदीश / रामराम
10	——,——	——,——	——,——	महलु / बुघुना
11	——,——	——,——	माकड़	सोनसाय / फागू
12	——,——	——,——	——,——	फूलसीता / नघीया
13	——,——	——,——	——,——	परमेश्वर / अर्जन
14	——,——	——,——	——,——	कुंवरसाय / गन्नु
15	——,——	——,——	——,——	फागू / सुखा
16	——,——	——,——	——,——	भगलु / अर्जन
17	——,——	——,——	——,——	धनीबाई / सूखा
18	——,——	——,——	——,——	रामेश्वर / अर्जन
19	——,——	——,——	——,——	गन्नू / सोहर
20	——,——	——,——	——,——	अर्जन / महोगे
21	——,——	राजपुर	लाउ	बिकुल / सुधु
22	——,——	——,——	——,——	टहकू / भैसा
23	——,——	——,——	——,——	सुखु / भैसा
24	——,——	——,——	——,——	रिजू / भैसा
25	——,——	——,——	——,——	बैगा / भैसा
26	——,——	——,——	——,——	सहदेव / रघू
27	——,——	——,——	——,——	घोल्टू / भैसा
28	——,——	——,——	——,——	फूलसाय / पहुआ
29	——,——	——,——	——,——	फूलचंद / बंठू
30	——,——	——,——	——,——	रत्ना / पहुआ
31	——,——	शंकरगढ़	सुगाखोली	सुघना / सोनेराम
32	——,——	——,——	——,——	हवला / सोनू

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	परिवार मुखिया का नाम/पिता का नाम
33	——,,——	——,,——	——,,——	बुधराम / सोनेराम
34	——,,——	——,,——	——,,——	लखरूराम / झुराम
35	——,,——	——,,——	——,,——	दिलसाय / बिखनाराम
36	——,,——	——,,——	——,,——	रूपन / मोहन
37	——,,——	——,,——	——,,——	हरिराम / सोमारूराम
38	——,,——	——,,——	——,,——	भीखराम / सोमारू
39	——,,——	——,,——	——,,——	सोमारू / परमू
40	——,,——	——,,——	——,,——	गोगले / कुंजराम
41	——,,——	——,,——	हरिनलेटा	अंधू / बडा भगत
42	——,,——	——,,——	——,,——	सुखदेव / चमरा
43	——,,——	——,,——	——,,——	रत्ना / चमराराम
44	——,,——	——,,——	——,,——	सुन्दर / बुघना
45	——,,——	——,,——	——,,——	चैड / विफना
46	——,,——	——,,——	——,,——	लाठी / सूखसाय
47	——,,——	——,,——	——,,——	चमराराम / छोटा अघनू
48	——,,——	——,,——	——,,——	अजय / जेठू
49	——,,——	——,,——	——,,——	मघना / छोटा अघनू
50	——,,——	——,,——	——,,——	महेश / छोटा अघनू
51	——,,——	——,,——	पटना	भूलना / जेठूराम
52	——,,——	——,,——	——,,——	रत्नू / झूलनाराम
53	——,,——	——,,——	——,,——	खुरिया / दुर्गा
54	——,,——	——,,——	——,,——	सूखना / तुरिया
55	——,,——	——,,——	——,,——	रिखूराम / विसनू
56	——,,——	——,,——	——,,——	कोलस / जेठू
57	——,,——	——,,——	——,,——	एतवा / ठोमरा
58	——,,——	——,,——	——,,——	कुंवरसाय / ठोमरा
59	——,,——	——,,——	——,,——	देवसाय / पोला
60	——,,——	——,,——	——,,——	भगतराम / रिखू
61	——,,——	——,,——	जगिया	प्रभुराम / सीकू
62	——,,——	——,,——	——,,——	चन्दूरू / दुखन
63	——,,——	——,,——	——,,——	भीखू / सघवाराम
64	——,,——	——,,——	——,,——	सियाराम / भादीराम
65	——,,——	——,,——	——,,——	बिसूनराम / मांगला
66	——,,——	——,,——	——,,——	महेन्द्र / सियाराम

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	परिवार मुखिया का नाम/पिता का नाम
67	——,,——	——,,——	——,,——	राजबली / मादीराम
68	——,,——	——,,——	——,,——	मांगलाराम / खेवनाराम
69	——,,——	——,,——	——,,——	बिहारी / सियाराम
70	——,,——	——,,——	——,,——	बंधाराम / बुद्धुराम
71	——,,——	——,,——	खरकोना	बालसाय / सोमा
72	——,,——	——,,——	——,,——	गोदना / अघनू
73	——,,——	——,,——	——,,——	बिसनाथ / तेजराम
74	——,,——	——,,——	——,,——	सोमा / तेजराम
75	——,,——	——,,——	——,,——	राखोराम / भगना
76	——,,——	——,,——	——,,——	मोनूराम / अंधूराम
77	——,,——	——,,——	——,,——	अंधूराम / भगना
78	——,,——	——,,——	——,,——	पडरा राम / राखोराम
79	——,,——	——,,——	——,,——	किसना / राखोराम
80	——,,——	——,,——	——,,——	घिरूराम / बोदरो
81	——,,——	——,,——	चम्पानगर	बिरबल / एवतूराम
82	——,,——	——,,——	——,,——	विसनाथ / रटूराम
83	——,,——	——,,——	——,,——	सुकदेव / टीभूराम
84	——,,——	——,,——	——,,——	खेलोराम / गुलुराम
85	——,,——	——,,——	——,,——	चरणराम / गुलुराम
86	——,,——	——,,——	——,,——	विपता / शुरूराम
87	——,,——	——,,——	——,,——	भिकूराम / सुखना
88	——,,——	——,,——	——,,——	तोम्बाराम / आजलराम
89	——,,——	——,,——	——,,——	पाडयराम / तोम्बाराम
90	——,,——	——,,——	——,,——	विफईराम / परदेशिया
91	——,,——	——,,——	——,,——	खेखाराम / साधूराम
92	——,,——	——,,——	जिगनिया	हुंकराराम / सुइलुराम
93	——,,——	——,,——	——,,——	रजनाथ / हुकराराम
94	——,,——	——,,——	——,,——	माझेराम / कलहू
95	——,,——	——,,——	——,,——	गंगाराम / माडोराम
96	——,,——	——,,——	——,,——	पतवारा / पितुलराम
97	——,,——	——,,——	——,,——	गोपालराम / पतवाराम
98	——,,——	——,,——	——,,——	गरजा राम / भगत
99	——,,——	——,,——	——,,——	अरविंद / गरजाराम
100	——,,——	कुसमी	सरंगातोगी	फाडड़ / उमराव

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	परिवार मुखिया का नाम/पिता का नाम
101	——,,——	——,,——	——,,——	रमदू / झंगू
102	——,,——	——,,——	——,,——	इटना / बठना
103	——,,——	——,,——	——,,——	रतू / गोदलो
104	——,,——	——,,——	——,,——	महतो / कोल्हा
105	——,,——	——,,——	——,,——	गेहलो / कोल्हा
106	——,,——	——,,——	——,,——	ढेरकू / बठना
107	——,,——	——,,——	——,,——	गोबरा / नान्हे
108	——,,——	——,,——	——,,——	जयराम / उमराव

उपरोक्त तालिका के अनुसार जिला बलरापुर के 108 परिवार के मुखिया से चर्चाकर जानकारी संकलन किया गया है।

क्रमांक	जिला	विकासखण्डों का नाम	ग्रामों की संख्या	परिवार संख्या
1	बलरामपुर	राजपुर	03	30
		शंकरगढ़	07	69
		कुसमी	01	09
		03	11	108

अध्याय - 3

पहाड़ी कोरवा जनजाति का परिचय

कोरवा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है किन्तु कालोनिल डॉल्टन ने इन्हें कोलारियन समूह से निकली जाति माना है। किवदंतियों के आधार पर अपनी उत्पत्ति राम–सीता से मानते है। वनवास काल में राम–सीता व लक्ष्मण धान के एक खेत से गुजर रहे थे। पशु पक्षियों से फसल की सुरक्षा हेतु आदमकद पुतले को धनुष–बाण पकड़ाकर खेत के मेढ़ में खड़ा कर दिया था। सीता जी के मन में कौतुहल करने की सुझी। उन्होंने राम से उस पुतले में जीवन प्रदान करने को कहा। राम ने पुतले को मनुष्य बना दिया। यही पुतला कोरवा जनजाति का पूर्वज था।

पहाड़ी कोरवा ग्राम आमतौर पर पहाड़ी के ऊपर या जंगल से पास होती है। वे लोग बार–बार आवास बदलते हैं। ये लोग अन्य जनजातियों से भी अलग–अलग निवास करते हैं। इनकी बसाहट बिरल होती है। एक पहाड़ी कोरवा का घर किसी पहाड़ी कोरवा ग्राम आमतौर पर पहाड़ी के ऊपर या जंगल से पास होती है। वे लोग बार–बार आवास बदलते हैं। तो दूसरे का कहीं दूर घने जंगलों में होगा तीसरे का किसी कदंरा में होगा तो चौथे का किसी ढलान पर। इन घरो को सम्पर्क करने हेतु कोई मार्ग नहीं होता है।

पहाड़ी कोरवा में गोत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संबंध स्थापित करते समय इसका विशेष महत्व होता है। एक गोत्र में विवाह निषेध माना गया है। स्व गोत्र में लड़की–लड़का को भाई–बहन माना जाता है। पहाड़ी कोरवा जनजाति में निम्न गोत्र पाय जाते है। जो निम्नानुसार है :–

हसदंवार (हसदंवार गोत्र अपने को समाज में प्रमुख मानते है।)

एदेगवार, मुडियार,

गिनू, हडमड,

सामढ़, सामरवार,

रेहला।

पहाड़ी कोरवा मुख्यतः एकल परिवार में विश्वास रखता है। परिवार में माता पिता व अविवाहित बच्चें ही रहते है। बालक के वयस्क होते ही उसका विवाह कर उसे अलग आवास रहने के लिए दे दिया जाता है।

घर की बनावट :-

पहाड़ी कोरवा का घर सामान्यतः एक कमरा बना होता है। इसी कमरे में रसोई व शयन कक्ष तथा चुल्हा व खाने पीने का बर्तन रहता है। घर की दीवाल कच्ची मिट्टी व वे सीधी–सीधी लकड़ियों को गाड़ के तथा छत भी लकड़ियों से तैयार किया जाता है। जिसके ऊपर घास–फूस डला रहता है। घर की छबाई मिट्टी तथा लिपाई–पुताई गोबर या स्थानीय मिट्टी से करते है।

वाद्ययंत्र :-

पहाड़ी कोरवा संगीत एवं त्यौहारों के अवसरों पर उत्साह मनाने के लिए मांदर एवं ढोल बजाते है।

शिकार उपकरण :-

प्राचीन समय में पहाड़ी कोरवा जंगली जानवर जैसे :– हिरण, सुअर, खरगोश, गिलहरी, चिड़िया आदि का शिकार करते थे, शिकार के लिए प्रमुख औजार तीर धनुष, फरसा, भाला व कुल्हाड़ी का प्रयोग करते है। मत्स्याखेट पूर्व में तीर धनुष का उपयोग करते थे। वर्तमान में जाल, मच्छरदानी के टुकड़े, चोरईया, बंशी से मछली व शिकार करते है।

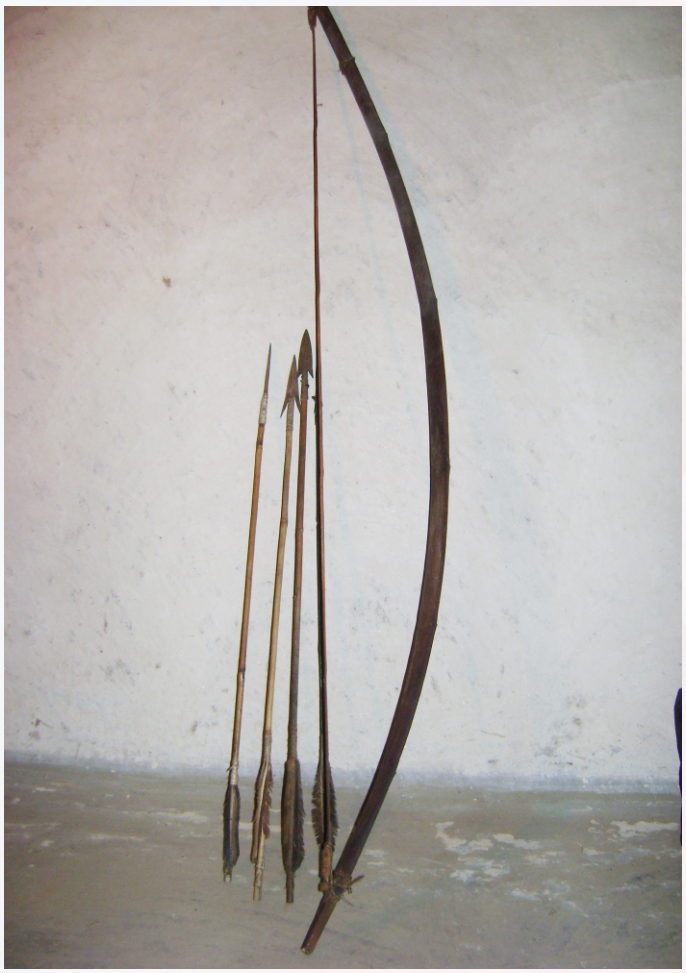

स्वच्छता एवं सफाई :-

पहाड़ी कोरवा सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते है। ये लोग रोज स्नान नहीं करते। नहाने के समय नदी किनारे के चिकनी मिट्टी से शरीर व बाल को साफ सफाई करते है, तथा वस्त्र को लकड़ी के राख से सफाई करते है।

वस्त्र विन्यास :-

पूर्व में पहाड़ी कोरवा पुरूष केवल लंगोट पहनते थे। शेष शरीर खुला रहता था। महिलाएं केवल साड़ी लपेटती थी, ब्लाउज का प्रचलन नही था। वर्तमान में पुरूष धोती, कुर्ता, गमछा, लुंगी, कच्चछा तथा महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनते हैं।

शारीरिक साज श्रृंगार :-

पहाड़ी कोरवा महिला एवं पुरूष ज्यादा साज श्रृंगार नहीं करते है। चूंकि इनके पास आर्थिक संसाधन सीमित होता हैं महिलाएं श्रृंगार के रूप में सूरज, चांद, सांप, बिच्छु, वृक्ष, फल–फूल आदि गोदना बाह, कलाई, पैर, सीने में गुदवाती है। नाक व कान छिदवाती है। जिसमें लकड़ी के टुकड़े या गिलट के गहने पहनती है। बाल में तेल लगाकर कंघी करती हैं।

आर्थिक जीवन :-

इनका कोई विशेष आर्थिक संसाधन नहीं होती है। इनकी आवश्यकताएं भी सीमित होती है। पहाड़ों पर रहने के कारण अन्य विलासिता की वस्तुओं से दूर रहते है। पहाड़ी कोरवा की अर्थ व्यवस्था वनों पर आधारित अर्थव्यवस्था है वनोपज संग्रहण में महुवा, तेन्दुपत्ता, साल पत्ता एवं बीज, जड़ी बुटी, चार–चिरौंजी, शहद एवं लाख, हर्रा, बेहड़ा आदि का संग्रहण करते है। महुआ का उपयोग मंद बनाने व बेचने के लिये करते है, अन्य वनोपज की विक्रय स्थानीय बाजारों में करते है।

दिनचर्या :-

पहाड़ी कोरवा जनजाति की दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। दैनिक नित्य कार्य पश्चात शिकार करने हेतु धनुष–वाण अथवा कुल्हाड़ी लेकर चलता है। कुल्हाड़ी से सुखी लकड़ी काटकर बाजार में दोपहर तक बेचकर शाम को चांवल व अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर घर आता है। महिलाएं सुबह उठकर झाड़ू लगाती है, और पानी भरकर दैनिक नित्य कार्य हेतु नदी तालाबों की ओर चली जाती है। घर में उपलब्ध सामग्री से भोजन बनाकर बच्चों को खिलाकर जंगल की ओर कंदमूल, फल व वनोपज के संग्रहण हेतु जाती है। शाम तक वापस आती है तब तक पुरूष भी अपने साथ लाएं सामानों से रसोई तैयार कर खा–पीकर सो जाते है।

जन्म संस्कार :-

शिशु जन्म को भगवान की देन मानते है। प्रसव के लिये पत्तों से निर्मित अलग झोंपड़ी बनाते है। जिसे ''कुम्बा'' कहते है। प्रसव इसी झोपड़ी में स्थानीय दाई जिसे ''दगरिन'' कहते है, की सहायता से कराते हैं। बच्चें की नाल तीर के नोंक या चाकू से काटते है। नाल झोपड़ी में ही गड़ाते है। प्रसूता को हल्दी मिला भात खिलाते है। कुल्थी, एढ़ीमुड़ी, छिंद की जड़ सरई छाल, सोंठ–गुड से निर्मित काढ़ा भी पिलाते है। छठे दिन छठी मनाते हैं, बच्चें तथा माता को नहलाकर सूरज सरती व कुल देवी को प्रणाम कराते हैं। महुआ से निर्मित शराब रिश्तेदारों व मित्रों को पिलाते है।

विवाह संस्कार :-

विवाह उम्र लड़कों में 20–21 वर्ष और लड़कियों में 18–19 वर्ष पाई जाती है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। विवाह में अनाज, दाल, तेल, गुड़, 40 रूपये वधु के पिता को ''सुक'' के रूप में दिया जाता है। विवाह मंगनी, सूत बधौनी, विवाह और गौना इस प्रकार चार चरण में पूरा होता है। फेरा करने का कार्य जाति का मुखिया सम्पन्न कराता है। इसमें गुरावट (विनिमय) लमसेना (सेवा विवाह) पैढू (घुसपैठ) उढ़रिया (सहपलायन) आदि भी पाया जाता है। विधवा पुनर्विवाह, देवर–भाभी का पुनर्विवाह यु होने पर मृतक को दफनाते है। 10वें दिन स्नान कर देवी देवता एवं पूर्वजों की पूजा करते है। मृत्यु भोज देते है। जिस झोपड़ी में मृत्यु हुई थी उसे नष्ट कर नई झोंपड़ी बनाकर रहते है।

धार्मिक जीवन :-

पहाड़ी कोरवा लोग अपने परम्परागत धर्म में विश्वास रखते हैं उनका विश्वास है कि उनके निवास स्थान के आप–पास अनेक देवी–देवता है जिन्हें यदि प्रसन्न नहीं रखा जाय तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इन पारलौकिक भी मान्य है।

मृत्यु संस्कार :-

मृतक्ति में विश्वास ही धर्म है। पहाड़ी कोरवाओं की जीववाद में विश्वास है। इनका विश्वास है कि उनका वातावरण जीवात्माओं से भरा है। इन जीवात्माओं को परम्परागत विधि विधान से यदि प्रसन्न नहीं किया जाए तो हानि पहुंचेगी। प्रत्येक घर के धार्मिक स्थानों में पूर्वजों के बीच स्थान दिया जाता है, तथा सभी धार्मिक पूजा के समय अन्य देवी–देवताओं के साथ पूर्वजों को भी याद किया जाता है, तथा निर्धारित विधि विधान से इन्हें प्रसन्न किया जाता है। ताकि हानि नहीं हो। इनके द्वारा प्रकृति की भी पूजा की जाती ह। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि सर्वशक्तिमान होते है।

पहाड़ी कोरवा लोग अनेक प्रकार की देवी–देवताओं की पूजा करते है जो जिनमें प्रमुख हैं :– बुढ़ादेव, ग्राम देव, कामदेवी, शिकार देवी, महामाई देवी, ज्वालामुखी देवी, बुढीया देवी, अनुसूईया रानी, पघार पण्डा, राजा चन्डोल एवं खुड़िया रानी।

अध्याय - 4 पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून व सामाजिक नियम

पहाड़ी कोरवा जनजाति की अपनी जाति पंचायत है। जिसका मुख्य कार्य परम्परागत सामाजिक प्रथाओं का पालन करवाना है। ये सामाजिक प्रथाएं पीढ़ी–दर–पीढ़ी चलती रहती है, और इन प्रथाओं को जन–मत प्राप्त होने के कारण कोई भी इसे तोड़ने का हिम्मत नहीं करता क्योंकि वे जानते हैं कि इसे तोड़ने से समाज द्वारा अर्थात जाति पंचायत द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा। सामाजिक दंड का डर उनके व्यवहार को नियंत्रण में रखता है। पहाड़ी कोरवा जनजाति पंचायत के मुखिया को नायक या प्रधान के नाम से जाना जाता है। 2–3 अन्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो ग्राम में सूचना आदि देने का कार्य करते है। जिसे सेवा कहा जाता है। पहाड़ी कोरवा की कुछ प्रथागत कानून निम्न है :–

सामाजिक संबंध कानून :-

सामाजिक या कानून के अंतर्गत अपने जाति के बाहर के साथ बड़े भाई की पत्नी, पति के बड़े भाई, पत्नी की बड़ी बहन तथा भाई–बहन के बीच यह संबंध वर्जित है। जैसे–जैसे पहाड़ी कोरवा स्त्री–पुरूष बड़े होते है। उनके मन में यह बैठा दिया जाता है कि यदि इस सामाजिक कानून कोई तोडेगा तो भगवान तो उसे सजा देगा ही उसे समाज द्वारा भी बहिष्कार किया जाएगा। दंड के इस प्रावधान से इस नियम को तोड़े का साहस किसी के द्वारा कम ही किया जाता है।

सम्पत्ति कानून :-

वंश पिता के नाम से ही चलता है। क्योकि इनका समाज पितृसतात्मक है। अतः सम्पत्ति पर स्त्रियों का दावा नहीं होता है। विधवा स्त्रियों सिर्फ गुजारा के ही हकदार होती है। अविवाहित लड़कियों को शादी जब तक नहीं हो जाती है। तब तक पिता के घर में जीवन–निर्वाह के लिये दावेदार होती है। जमीन का लड़को के बीच बराबर बांटा जाता है।

जब किसी भी सामाजिक कानून को तोड़ा जाता है। तो इसे जाति पंचायत के पास न्याय के लिये प्रस्तुत किया जाता है। जाति पंचायत के प्रधान न्याय के लिये पंचायत के बैठक के लिये तिथि व समय निर्धारित करता है। किसकी सूचना सेवादार के द्वारा सभी को दे दी जाती है। निर्धारित तिथि के दिन पंचायत की बैठक में जाति के सभी वयस्क पुरूष भाग लेते है, तथा पंचायत में दोनों पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और ईश्वर का नाम लेकर यह शपत लेता है। कि यदि व असत्य कहेगा तो ईश्वर उसे दंण्डित करेगा। दोनों पक्षों को सुनकर प्रधान द्वारा उपस्थिति पहड़ी कोरवा पुरूषों से विचार–विमर्श किया जाता है, तथा जनमत के अनुसार न्याय किया जाता है। दंड के रूप में जाति–बहिष्कार किया जाता है, या पांच रूपया से सौ रूपये तक दंड दिया जाता है।

प्रथागत परम्परा (कानून) :-

प्रथागत कानून या परम्परा हर जनजाति में सामाजिक रूप से कुछ प्रचलित नियम, कानून या परम्परा होती है। जो पिता से अपने बच्चों को प्राप्त होती है। जिसे बालक अपने पिता बुजूर्गो से प्राप्त कर अगली पीढ़ी को प्रदान करते है तथा वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को प्रदान करती है। यह नियम परम्परा उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करती है। क्योकि समाज में हर तरह के लोग निवास करते है। कुछ अच्छे कुछ बुरे। चूंकि समाज अच्छे व बुरे दोनों लोगों को लेकर चलती है। परंपरा समाज के अवांछित तत्वों से भी वांछित कार्य करवाने की शक्ति रखती है। इन अवांछित तत्वों को भी समाज में रहना है। यदि ये तत्व समाज की बातों को मानकर नहीं चलती तो समाज द्वारा कठोर कार्यवाही करती है। जिसमें दण्ड के रूप में समाज में

उनका उठना, बैठना, भोजन, पानी, हुक्का बातचीत बंद कर दिया जाता है। विवश होकर यह तत्व समाज के नियम कानून को मानने के लिए बाध्य होता है।

फलतः समाज के परम्परागत कानून सभी के लिए लागू रहते है। समाज या परिवार में जब कोई सदस्य जन्म लेता है तो उसे समाज की सदस्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। जिसके कारण जाति या समाज का परम्परागत कानून उसके उपर अपने आप आ जाता है व उस परम्परा को मानना उसकी मजबूरी हो जाती है।

पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग घने जंगलों में निवास करते है फलतः अपराधिक या फौजदारी न्यायालयों के विभिन्न कानूनों की जानकारी इन्हें नहीं होती है। जाति के लोग अपने समाज में अपराधिक कृत्यों के फैसले नहीं लिए जाते। समाज में छोटे मोटे झगड़े व सामाजिक परम्परा का उल्घंन आदि समस्याओं को सुलझाया जाता है।

इन मामलों विवादों को सुलझाने के लिए ग्राम स्तर पर सामाजिक पंचायत व केन्द्रीय पंचायत सामाजिक रूप से प्रचलित है जिसमें विवाद के अनुसार मामले सामाजिक जाति पंचायत में लाये जाते है।

ग्राम स्तर पर सामाजिक पंचायत :-

पहाड़ी कोरवा जनजाति बाहुल एक या एक से अधिक गाँव को मिलाकर ग्राम स्तरीय सामाजिक पंचायत का गठन किया जाता है। जिसमें 3 से 4 सदस्य का चयन किया जाता है जिसके मुखिया को नायक या प्रधान कहा जाता है। इन सदस्यों का चयन बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित तथा सामाजिक कार्यों में सहभागिता रखने वाले व्यक्ति को चुना जाता है।

पंचायती कार्यकाल :-

पहाड़ी कोरवा की पंचायत अवधि बुलाने की तिथि निश्चित नहीं होती है। समाज में जो व्यक्ति का पद निश्चित नहीं होती है। समाज में जो व्यक्ति सही निर्णय देता है। उसे आगे की अवधि के लिए पुनः चुन लिया जाता है। कार्य अच्छा नहीं होने पर अन्य व्यक्तियों को सदस्यों को चुन लिया जाता है।

जाति पंचायत की बैठक :-

पहाड़ी कोरवा ग्राम में निवासरत व्यक्ति अपनी समस्याएं ग्राम में ही सदस्यों के सक्षम प्रस्तुत करता है। व्यक्ति के बुलावे पर सदस्यों द्वारा बैठक बुलायी जाती है। जहां चुने गये सदस्य समस्या पर विचार करते है व सामाजिक नियम के अनुसर दोषी को दण्ड दिया जाता है।

जाति पंचायत के कार्य :-

ग्राम में पहाड़ी कोरवा जनजाति में ग्राम स्तर पर निम्नांकित कार्य किए जाते है :–

1. **पूजा हेतु धन एकत्रित करना** :- पहाड़ी कोरवा अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते है जिसमें ग्राम देवी देवता की पूजा होती है जिसे सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इस हेतु समाजिक बैठक कर प्रति परिवार के हिसाब से एक निश्चित राशि एकत्रित करने हेतु आदेशित किया जाता हैं।
2. **सगोत्र विवाह रोकना** :- पहाड़ी कोरवा जनजाति में सगोत्र विवाह पूर्णतः वर्जित है समाज ऐसे विवाह को स्वीकार नहीं करता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार को कोई कार्य करता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता व उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। समाज ऐसे विवाह को रोकने के लिए कठिन दण्ड देता है। जिससे कोई अन्य व्यक्ति इसे दुहराने की हिम्मत नहीं करता जैसे अधिक अर्थदण्ड व विवाह को अवैध घोषित करना, समाज से अलग कर देना आदि।

3. **जातिगत विवादों को सुलझाना** :- पहाड़ी कोरवा सामाजिक पंचायत में सामाजिक झगड़े जैसे अवैध संबंध, जायदाद बंटवारा, मारपीट पति पत्नि के झगड़े आदि होने पर पक्ष द्वारा सदस्यों से गुहार किया जाता है। फिर सदस्यों द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार सदस्यों की बैठक होती है जहां विवाद दोनों पक्ष द्वारा रखा जाता है। निर्णय सदस्यों द्वारा जैसे सम्पत्ति का बंटवारा के लिए दोनों समझाकर सम्पति सहमति से बांट दिया माता है। पत्नि के विवाद में दोनों का सुलाह कराता है। समझौता न मानने पर अलग अलग रहने का हुक्म देती है। मामूली माटपीट होने पर समझौता करा दिया जाता है। मृत्यु या संधातिक चोट होने पर समाज की बैठक नहीं की जाती है।

4. **अर्न्तजातिय विवाह रोकना** :- छत्तीसगढ़ में निवासरत सभी जनजातियों द्वारा अपने ही जाति में विवाह को मान्यता देती है यदि कोई व्यक्ति अन्य जाति में विवाह करता है तो उसे सामाजिक रूप से अर्थदण्ड व सामाजिक भोज का दण्ड दिया जाता है। दण्ड न देने पर सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है लड़की अन्य की जाति की होने पर उसे सामाजिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता है किंतु उससे उत्पन्न संतान को समाज मान्यता प्रदान करती है। यदि लड़की अन्य समाज में विवाह करती है तो उसे समाज में नहीं रखा जाता न उसके संतान को मान्यता भी नहीं देती।

5 **सामाजिक रीति रिवाज की जानकारी देना** :- पहाड़ी कोरवा समाज की बैठक सामाजिक रूप से होने पर पुरानी नियमों की जानकारी दी जाती है यदि उसमें कोई संशोधन करती है तो उसकी जानकारी जाति पंचायत में पूरे समाज को देती है ताकि नये नियम की जानकारी सभी को रहे।

6. **अन्य जातियों से वाद-विवाद को रोकना** :- पहाड़ी कोरवा समाज अन्य जाति समाज से अलग रहना पसंद करते है व खुद भी समाज परिवार एक दूसरे से स्वतंत्र रहना पसंद करते है ताकि व्यर्थ का वाद विवाद, लड़ाई–झगड़ा न हो। यदि कोई वाद विवाद होता है समाज द्वारा समझा बुझाकर निपटारा कर दिया जाता है। समझाईश न मानने पर समाज आर्थिक दण्ड से सुलझाया जाता है।

केन्द्रीय पंचायत :-

पहाड़ी कोरवा समाज में भी केन्द्रीय पंचायत होती है जिसमें ग्राम स्तर पर न सुलझने वाले विवाद इस पंचायत के समक्ष रखे जाते है। केन्द्रीय जाति पंचायत में जाति से संबंधित अपील एवं सामाजिक नियम बनाने पालन करवाना आदि कार्य को रखे जाते है।

(अ) **सदस्य संख्या** :- केन्द्रीय पंचायत में अधिकतम 8–10 सदस्य होते है :–

1.	**अध्यक्ष**	**-**	**एक**
2.	**उपाध्यक्ष**	**-**	**एक**
3.	**सचिव**	**-**	**एक**
4.	**कोषाध्यक्ष**	**-**	**एक**
5	**कार्य कारणी सदस्य**	**-**	**चार**

कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करना :-

पहाड़ी कोरवा जनजाति में केन्द्रीय जाति पंचायत के सदस्यों, पदाधिकारियों का चुनाव उसकी योग्यता व कार्यो को देखकर किया जाता है। सदस्य का चुनाव हेतु कुछ निर्धारित योग्यताएं बनाई गई है जो नियमानुसार है :–

1. पहाड़ी कोरवा जाति का बुजूर्ग व प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
2. सामाजिक नियमों की अच्छी जानकारी रखता है तथा किसी असमाजिक कार्यो में संलिप्त न हो।
3. न्यायप्रिय व समझदार हो
4. चरित्रवान होना चाहिए।

केन्द्रीय पहाड़ी कोरवा पंचायत कार्यकाल :-

पहाड़ी कोरवा केन्द्रीय पंचायत की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। पहाड़ी कोरवा प्रायः अशिक्षित होते है। इसलिए अधिक प्रतियोगी नहीं होते है। जो व्यक्ति पद के लिए खडे होते है सामाजिक रूप से उपस्थित व्यक्ति हाथ उठाकर उसका समर्थन करते है।

बैठक :-

केन्द्रीय पंचायत पहाड़ी कोरवा समाज की एक वार्षिक आय बैठक होती है जो हर वर्ष अलग–अलग स्थानो पर होती है। इसके अतिरिक्त बहुत आवश्यक पड़ने पर बैठक कभी भी आहुत की जा सकती है। सभा में पदाधिकारी व सामाजिक सदस्य उपस्थित होते है। आम सभा के अपीलीय प्रकरण व नये सामाजिक नियामों के बारे में जानकारी दी जाती है या नियमो को बदलाव के संबंध में सुझाव मांगे जाते है।

केन्द्रीय पंचायत के कार्य :-

1. **जातिगत वाद विवादों का निपटारा** :- वे मामले जो ग्राम में सामाजिक स्तर पर नहीं निपटाया जा सकता या निराकरण होने पर एक पक्ष नहीं मानता तो एक पक्ष केन्द्रीय पंचायत में अपील कर सकता है। केन्द्रीय जाति पंचायत ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए तिथि निश्चित करता है और संबंधितों के साथ–साथ समाज को सूचना दी जाती है। विवादित पक्षकार निर्धारित समय को एकत्रित होते है। केन्द्रीय पंचायत समस्या का निराकरण कर फैसला सुनाती है जिसे दोनों पक्षें को मानना पड़ता है अन्यथा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

   पति-पत्नि मतभेदों का निपटरा :- पति–पत्नि में आपस में न पटने पर समाज अलग–अलग कर देता है। समाज में विवाह विच्छेद को भी मान्यता देती है। विवाह विच्छेद के कुछ निम्न कारण होता है जैसे पति–पत्नि के झगड़े इतने बढ़ जाते है कि दोनों का साथ रहना असंभव हो जाता है तब केन्द्रीय पंचायत अपना फैसला सुनाता है।

2. **गौ हत्या का प्रायश्चित** :- पहाड़ी कोरवा जनजाति में गौ हत्या को पाप माना जाता है। गौ हत्या करने वाले समाज के व्यक्ति पर सामाजिक नियम का पालन करते हुए प्रायश्चित करवाया जाता है। जिसमें समाज को भोज व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं

3. **धार्मिक त्यौहारों पर एक स्थान पर एकत्रित होना** :- पहाड़ी कोरवा में सामाजिक त्यौहारों या मरनी में विवाह मे एक साथ एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाते व नाचते गाते है।

4. **सगोत्र विवाह रोकना** :- समाज में सगोत्र विवाह को निषेध माना गया है। एक ही गोत्र के लोग आपस में भाई बहन माने जाते है यदि समाज का व्यक्ति इन नियमों का उल्घंन करता है तो समाज उसे दण्ड देता है न मानने पर सामाजिक रूप से बहिस्कृत कर देता है।

पहाड़ी कोरवा में प्रथागत कानून व सामाजिक नियम :-

पहाड़ी कोरवा जनजाति मे भी अन्य जनजाति समुदाय की तरह सामाजिक, धार्मिक संस्कार सम्पन्न किया जाता है। जिसमे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार व मृत्यु संस्कार प्रमुख है। सामाजिक रूप से प्रथागत कानून ही पूर्वजों से चला आ रहा है। यह पुराने पीढ़ी से नये पीढ़ी को मिलता है। जिसमें पिता अपने पुत्रों को बचपन से ही समाज के हर संस्कार में भाग लेने देता है। देखता है व सीखता है बडा होते होते व समाज के लगभग सभी संस्कारों व नियमों से परिचित हो जाता है। पहाड़ी कोरवा में प्रथागत कानून जो पुरातन पीढ़ी से नये पीढ़ी को प्राप्त होतो है कुछ सामाजिक विवादों का निपटारा के संबंध में पुरानी पीढ़ी से प्राप्त नियम नियमानुसार है :–

1. **जातिगत विवादों के संबंध में** :- पहाड़ी कोरवा जनजाति में जातिगत विवाद अथवा झगड़ों का निपटारा सामाजिक पंचायत में ही किया जाता है। विवादित दोनों पक्ष को समझाया जाता है। व मानने पर 200 रू. से 1000 रू. का आर्थिक दण्ड दिया जाता है।

2. **सगोत्र विवाह में प्रथागत कानून** :- समाज में एकी गोत्र में विवाह को समाज मान्यता प्रदान नहीं करती है। यदि कोई सगोत्र विवाह करता है तो उसे समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है व 1000 रू. दण्ड व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है।

3. **बहु विवाह में प्रथागत कानून** :- समाज में बहु विवाह सामान्यत : नहीं पाया जाता । यदि किसी महिला का बच्चा न हो रहा हो या बिमारी से ग्रस्त हो या अन्य ऐसी गंभीर बिमारी हो जिससे सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हो तो व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है या पत्नि की मर्जी हो तो भी दूसरा विवाह कर सकता है। पत्नि की मर्जी के विरूद्ध विवाह करने पर सामाजिक रूप से 2000 रू. अर्थदण्ड व सामाजिक भोज देना होता है।

4. **व्याविचार में प्रथागत कानून** :- समाज में यदि अवैध संबंध किसी महिला पुरूष का पाया जाता है तो उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। यदि दोनों अविवाहित है तो दोनों का विवाह करा दिया जाता है।

5. **विधवा विवाह में प्रथागत कानून** :- स्त्री के पति के मर जाने पर विधवा अन्य विधुर पुरूष से विवाह/चूड़ी पहनाकर घर चली जाती है। अविवाहित पुरूष यदि किसी विधवा से विवाह करता है तो उसे समाज को 1500 रू. दण्ड व समाज को भोज देना पड़ता है।

6. **अर्न्तजातीय विवाह में प्रथागत कानून** :- पहाड़ी कोरवा में अंर्तजातीय विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करती है। यदि पहाड़ी कोरवा जाति का लड़का अन्य समाज की लड़की से शादी कर लेता है तो समाज लड़की को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसके संतान को समाज स्वीकार कर लेती है व सामाजिक रूप से 2000रू. दण्ड व समाज को भोजन कराना पड़ता है। यदि कन्या अन्य समुदाय में विवाह करती है तो सामाजिक रूप से बहिस्कृत कर दिया जाता है।

7. **फूलपरी में प्रथागत कानून** :- समाज में जब किसी व्यक्ति के शरीर में घाव होकर कीड़ा लग जाता है तो उसे फूलपरी कहा जाता है। कीड़े लगने पर यह कहा जाता है कि भगवान नाराज है जिससे उमके घाव नहीं भर रहे है और घाव में कीडे पड़ गये है तो समाज उसे बहिष्कृत कर देता है।